जावक क्र. 2242/13
दिनांक 10/12/13

पंजी. क्र. 65/71/28-11-13

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

नियमावली

1.	सोसायटी का नाम tanwar samaj kalyan samiti nimar होगा।
2.	सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) 528 gandhi chouk village badud tehsil sanawad dist. khrgone west nimar m.p. 451111 तहसील बड़वाह जिला खरगौन मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र sampurn madhay pradesh होगा।
4.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:**

1	समाज के लोगो को संगठित कर सामाजिक चेतना व जाग्रति लाना और समाज कल्यान करना
2	लोढ़ा , भाम्टा व संतोडा जो कि एक छाप है , कहे जाने वाले लोगों को उनकी मूल जाति 'तंवर ' को विशेस पिछड़ी जनजाति घोषित करने के प्रयास करना और समाज कल्यान करना
3	समाज मे शिक्षा का प्रचार – प्रसार कर सामाजिक कुरीतियो को दूर कर सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना और समाज कल्यान करना
4	समाज के लोगों मे राष्ट्रीय भावना जाग्रत कर देश व समाज का विकास करना और समाज कल्यान करना
5	तंवर समाज के विकास मे सांस्क्रतिक , शैक्षणिक व धार्मिक विकास, धर्मशालाओ की स्थापना एंव समाज की सोसायटी के माध्यम से आमजन का विकास करना और समाज कल्यान करना
6	समाज मे शासन आयोग स्तर पर सही जाति होने बाबद भ्रांति दूर करना और समाज कल्यान करना
7	मध्यप्रदेश सरकार एवं केन्द्रित सरकार द्वारा चलाई जा रही संपूर्ण जन कल्याणकरी योजनाओ का लाभ समाजजन को दिलाना व शासन के प्रत्येक विभाग की जनोपयोगी योजनाओ की जानकारी देना और समाज कल्यान करना
8	सामाजिक उद्देश्य : - अनपढ़ व कम पढ़लिखे लोगो एंव कम जागरुक लोगो को शासन से मिलने वाली योजनाओ का लाभ दिलाना। बाल श्रमिक एवं बंधक मजदूरी के पक्ष मे वातावरण तैयार करना एवं इस प्रथा का अंत करने मे सक्रिय प्रयास करना और समाज कल्यान करना ।
9	नशाखोरी एवं एड्स के खतरनाक परिणामो से आम आदमी को आवगत कराना व इनके निराकरण के उपाय करना और समाज कल्यान करना
10	बाल विवाह , दहेज प्रथा एवं मरत्यु भोज के विरुद्ध वातावरण तैयार कर आमजन को सजग करना और समाज कल्यान करना
11	विधवा विवाह ,अंतरजतिय विवाह एव सामुहिक विवाह के लिए प्रोत्साहित कर प्रचलन मे लाना और समाज कल्यान करना
12	माहिलाओ को रोजगार के क्षैत्र मे आत्म निर्भर बनाना और समाज कल्यान करना
13	अकाल ,बाढ एव अन्य प्राकृतिक विपदओ में राहत कार्य चलाना और समाज कल्यान करना महिलाओ को सॉफ्ट टॉयज बनाने हेतु प्रशिक्षक देकर उन्हे आत्म निर्भर बनाना ।
14	चिकित्सा सम्बंधी : - 1 विशेष मर्जो , रोगो की चिकित्सा शिविरो का आयोजन करना । 2 सफाई , स्वच्छता एव प्रदुषण के सम्बंध मे जनचेतना विकसित करना । ३ '' हम दो – हमारे दो परिवार '' नियोजन के इस नारे के प्रति आमजन मे जागरुकता लाना चिकित्सा क्षैत्र में अनुसंधान कार्य करना और समाज कल्यान करना
15	स्वस्थ्य के क्षैत्र में नई विकसित तकनीको व आयामो कि स्थापना करना ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

1653/28-11-13

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

16	भारतीय सभ्यता एवम सांसक्रति के आनुरुप लोगो का मानसिक विकास एवम इनके प्रति रुचि जाग्रत करना ।
17	साहित्य एवम सांसक्रतिक सम्बंधी १ भारतीय सभ्यता एवम सांसक्रति के आनुरुप लोगो का मानसिक विकास एवम इनके प्रति रुचि जाग्रत करना । जनकारि प्रदान करना एवम उनकी समस्याओ के निराकरण मे सहयोग देना । ३ मित्र राष्ट्रो एवम राज्यो के मित्र क्लबो द्वारा सम्पर्क स्थापित कर सांसक्रतिक आदन प्रदान करना और समाज कल्यान करना
18	भारतीय कला, लोक कला , संगीता एवम संस्क्रति के अध्ययन शोध एवम शिक्षण प्रशिक्षण मे सहयोग देना । शिक्षा सम्बंधी 1'बालको के सर्वागिण विकास एवम प्रसार हेतु प्रारम्भिक नर्सरी से उच्च स्तर तक के विध्यालयो मे प्रशिक्षण एवम अन्य कार्यक्रमो का संचालन करना एवम इसके लिये साधन जुटाना और समाज कल्यान करना
19	सरकार द्वारा निर्धारित रीति नीति एवम नियमो के अनुसरण मे कार्यक्रम को संचालित करना । 3 रोजगारोन्मुखी तकनीकी एवम व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमो का संचालन करना । वानिकी एवंम पर्यावरन सम्बंधी 1 चारागाह एवं बंजर भूमि का विकास करना और समाज कल्यान करना
20	पहाड़ी ढोलू क्षेत्रो समतल सडको डीएस किनारे बाहरी एव ग्रामीण क्षेत्रो ईएसए व्रक्षरोपण करना 3 जनजातीय समुदाय को पर्यावरण संबंधीत पत्रकारिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना । 4 पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रबंधन की जानकारी देना । और समाज कल्यान करना
21	विधि संबंधी :- 1 विधक साक्षरता के तहत जागरूकता लाना | 2 विधिक सहायता एवं कानूनी सलाह के क्षेत्र मे नये आयाम स्थापित करना I विधि सहायता व परामर्श के क्षेत्र मे सहायता उपलब्ध कराना और समाज कल्यान करना
5.	**सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगेः-**
	(अ) संरक्षक सदस्यः- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये **1100** या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये **500** या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये **600** या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
	(स) साधारण सदस्य- जो व्यक्ति रूपये **30** माह रुपये **360** प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
	(द) अन्य सदस्य- जो व्यक्ति रूपये **10** माह रुपये **120** प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व अन्य सदस्य होगा। अन्य सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो अन्य सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
	सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति**-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7.	**सदस्यों की योग्यता**- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

	3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सदचरित्र हो तथा मधपान न करता हो।
8.	**सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	**संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-** 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर। 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	**(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक को स्थान व समयँ कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों दवारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी दवारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था दवारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।
12.	**प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। (1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6) सदस्य -6
13.	**प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।
14.	**प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-** (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

क्र. नं. 1653 दि. 28-11-13

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

	(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना। (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना। (द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना। (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा दवारा समय-समय पर सौंपे जाए। (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी। (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय दवारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।
15.	**अध्यक्ष के अधिकार**- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार**- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	**सचिव(मंत्री) के अधिकार**- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये **500** व्यय करने का अधिकार होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार**- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार**- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी दवारा स्वीकृत व्यय करना।
	के अधिकार - अध्यक्ष-साधारण सभा तथा प्रबंदकारिणी समिति की समस्त बैठ्को की अध्यक्षता करेगा **के अधिकार** - सचिव- समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार कर के साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना **के अधिकार** - कोषाध्यक्ष-धन राशी का पुर्ण हिसाब रख्नना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्व्रारा स्वीक्रत व्यय करना के अलावा छह सदस्य रहेगे
20.	**बैंक खाता**- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये **500** रहेंगे।
21.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी**- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	**संशोधन**- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23.	**विघटन**- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

रजि. नं. 16527 दि. 28-4-...

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

24.	**सम्पत्ति**- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय दवारा, दान दवारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक दवारा बैठक बुलाना**- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों दवारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	**विवाद**- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवम् संस्थाएं इन्दौर संभाग ★ इन्दौर ★

T.C.

क्र. नं. 1657। दि. 28-11-13

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

1-12-13

(बी. एस. सोलंकी)
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ, इन्दौर सम्भाग,
इन्दौर

Regd No = 16571
Dated = 28-11-13

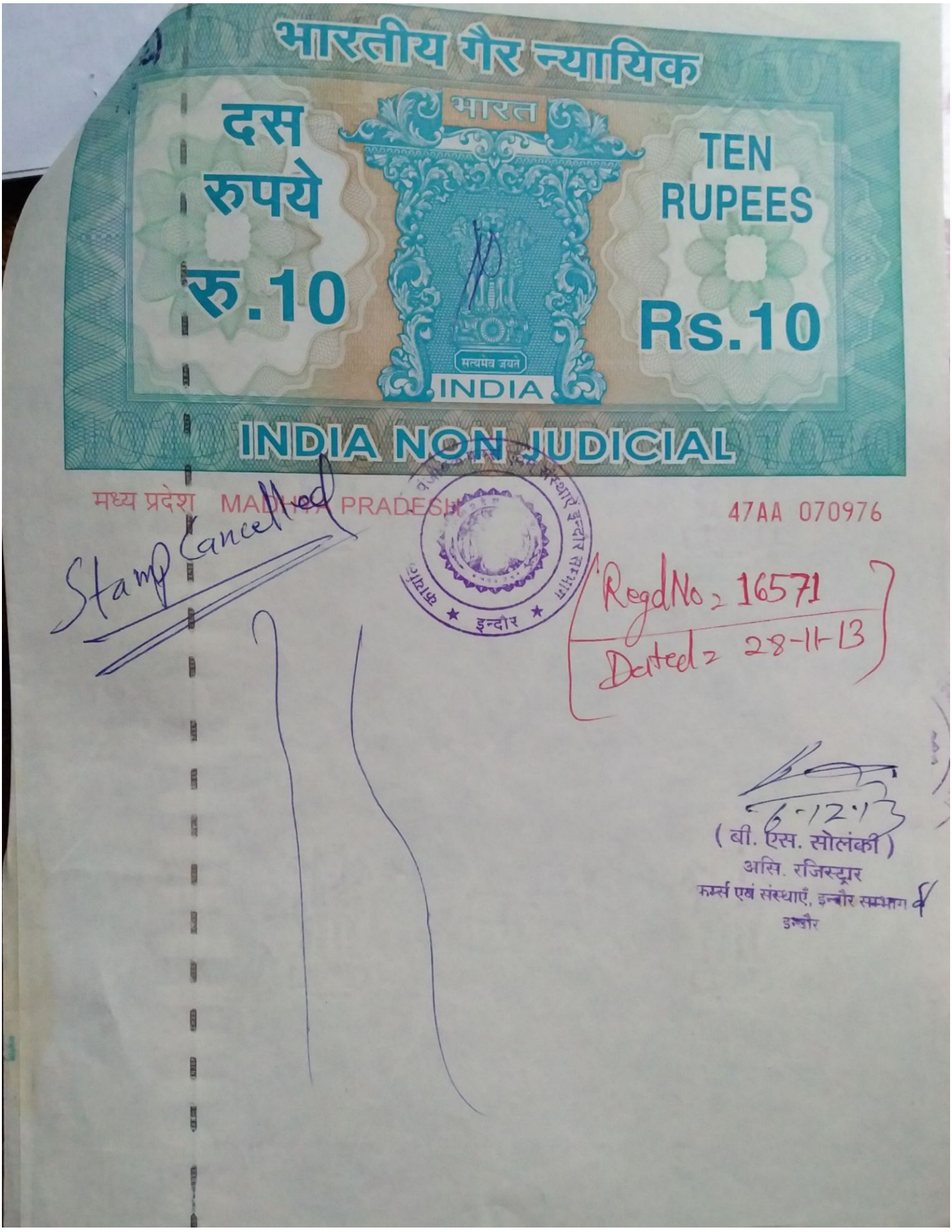

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 47AA 070976

Stamp Cancelled

इन्दौर

Regd No. = 16571
Dated = 28-11-13

6-12-13

(बी. एस. सोलंकी)
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ, इन्दौर सम्भाग
इन्दौर